

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर०)

दांडिक अपील क्रमांक: 78 / 2015

संस्थित दिनांक-24 / 02 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303001452015

- 1- विशम्भर सिंह पुत्र फकीरसिंह गुर्जर
आयु 40 निवासी ग्राम भैसोरा,
थाना रिठौरा जिला मुरैनाअपीलार्थी / आरोपी
वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री केशवसिंह गुर्जर अधिवक्ता

न्यायालय-श्री एस०के० तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-1637 / 2013 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक
28 / 01 / 2015 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 09 सितम्बर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

- उक्त दांडिक अपील अपीलार्थी / आरोपी विशम्भर सिंह की ओर से धारा 374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय गोहद श्री एस०के० तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 1637 / 13 में दिनांक 28 / 01 / 2015 को घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-ख) (क) के अपराध के लिये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 / -रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि सूचनाकर्ता शेरसिंह थाना प्रभारी मालनपुर, एस.एस.आई. राधेश्याम जाट, ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव, एस.एस.आई, आशाराम गौड, प्र.

आर. ओमवीरसिंह, आरक्षक रामबर, जगदीश, विक्रमसिंह, जगराम, आरखक चालक दिनेश शर्मा आदि के साथ चैकिंग हेतु काउन्टर फैंक्ट्री नाका मालनपुर के लिए रवाना हुए एवं संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों एवं वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति जो रिठौरा की तरफ से आ रहा था, जब उसके द्वारा फॉर्स को चैक किया गया तो उसके पास एक 315 बोर का कटटा लोडेड एवं एक राउण्ड रखे मिला। जिसका लाइसेंस पूछे जाने पर नहीं होना बताया, नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विशम्भर सिंह पुत्र फकीरसिंह उम्र 38 साल निवासी भैसोरा थाना रिठौरा जिला मुरैना का होना बताया। तत्पश्चात आरोपी से कटटा, कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया एवं गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। आरोपी के विरुद्ध थाना के अपराध क्र0-262/2013 धारा-25, 27 आयुध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये व जब्तशुदा कटटा एवं कारतूसों का परीक्षण कराया गया तथा जिला दण्डाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया गया

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न सामग्री के आधार पर धारा 25(1-ख) (क) के तहत आरोप लगाया जाकर विचारण किया विचारण पश्चात आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुये आरोपी/अपीलार्थी को एक वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जिससे व्यथित होकर उक्त दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गई।
4. अपीलार्थी/आरोपी विशम्भर सिंह की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में मूलतः यह आधार लिया गया है कि, अ.सा.-1 एवं अ.सा.-4 के द्वारा आरोपी के किस शरीर के किस भाग से कटटा जब्त किया गया, इसमें विरोधाभास है एवं अ.सा.-1 ने प्रतिपरीक्षण में कटटा घटनास्थल पर सीलड नहीं होना बताया है, जबकि निरीक्षक शेरसिंह ने मुख्य परीक्षण पैरा-01 में कटटा कारतूस को मौके पर सीलड करना बताया है। जिससे कटटा, कारतूस जब्ती के संबंध में अभियोजन साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं। अभियोजन साक्षीगण ने आरोपी को किस पुलिस अधिकारी द्वारा पकडा गया है, स्पष्ट नहीं किया है।
5. अपीलार्थी/आरोपी विशम्भर सिंह **कुर्ता पजामा पहनता है, पेंट शर्ट नहीं पहनता है**, इसलिये **पेंट की जेब** में से कटटा जब्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता है। घटनास्थल के आसपास चाय की दुकान अ.सा.-4 विक्रमसिंह, अ.सा.-6 शेरसिंह निरीक्षक द्व

ारा स्पष्ट किया है, इसके बाद भी स्वतंत्र साक्षियों को साक्षी नहीं बनाया गया है और थाने के हितबद्ध साक्षियों से मिलकर अपीलार्थी/आरोपी विशम्भर सिंह को झूठा फंसाया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनका सहारा लेकर साक्ष्य को मान्यता देने में भूल की है ।

6. प्र.पी.-01 की जब्ती पत्रक में कटटा के नाल की लंबाई, बट की लंबाई जब्ती पत्रक में अंकित नहीं की है । वाहन चैकिंग का थाने पर रजिस्टर होता है, जो भी पेश नहीं किया है, जिससे घटना संदिग्ध है। साक्षी मनमोहन सिंह पुलिस का पॉकेट बिटनेस है। इन सब बातों को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये आलोच्य निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है, और वह अपास्त किये जाने योग्य है, इसलिये दण्डिक अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा को निरस्त किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाये ।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दण्डिक प्रकरण क्रमांक 1637 / 2013 में पारित निर्णय दिनांक 08 / 01 / 2015 मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अवैध शस्त्र वगैरे वैध अनुज्ञप्ति के रखने के अपराध को प्रमाणित मानने में विधि एवं तथ्य की भूल या त्रुटि की गई है, यदि हां तो प्रभाव ?

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

--- निष्कर्ष के आधार ---

8. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

9. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत मौखिक तर्कों में व्यक्त किया है, कि पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा जाना बताया है, किंतु वाहन चैकिंग के लिए थाने से रवाना होने संबंधी रोजनामचा सन्हा रवानगी वापिसी का पेश नहीं किया है, न ही इस बात का कोई विवरण दिया है, कि कौनसे वाहन चेक उनके द्वारा किये गये हों इसलिए घटना का उद्भव ही संदिग्ध है, तथा आरोपी कुर्ता पजामा पहनता है, पुलिस द्वारा उसके पहने हुए

पेंट की कमर से लोडेड कट्टा बरामद होना बताया गया है, जो संभव ही नहीं है और मनमोहन (अ0सा0-01) पुलिस का पाकेट विटनेस (हितबद्ध एवं निर्मित साक्षी) है, उसके तथा हमराह साथ गये आरक्षक विक्रमसिंह ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट तथा विवेचक टी0आई0 शेरसिंह के कथनों में आपस में ही विरोधाभाष की स्थिति है तथा जो लोडेड कट्टा बरामद होना बताया है, उसकी मौके पर जब्ती के साथ सीलबंद किये जाने की साक्ष्य नहीं है पुलिस साक्षी के कथनों में भारी अंतर्विरोध है, किसने आरोपी को चेक किया किसने कट्टा पकड़ा इस बारे में भी संदेह की स्थिति है, घटनास्थल के बारे में भी विरोधाभाषी साक्ष्य है और मोके पर लिखापट्टी हुई या थाने पर हुई इस बारे में भी साक्षी अलग-अलग कथन करते हैं, इसलिए अभियोजन साक्षी विश्वसनीय नहीं थे, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करते समय साक्षियों के कथनों में आये गंभीर विरोधाभाष पर कोई विचार नहीं किया, न मूल्यांकन किया और मनमाने तरीके से निष्कर्ष निकालते हुए झूठे अपराध में आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर उसे दण्डित किया है, इसलिए प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर आरोपी को पारित दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा से दोषमुक्त किया जावे और अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

10. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए अपने तर्कों में यह बताया है, कि पुलिस साक्षियों पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, कि वे पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस को पदीय हैसियत से अपराध की रोकथाम करना होता है और चौकियाँ करना होती। आरोपी/अपीलार्थी को चौकियाँ के दौरान संदिग्ध प्रकट होने पर पकड़ा गया था और उससे अवैध कट्टा कारतूस बरामद हुआ अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है उसमें साक्षियों के कथनों में तात्त्विक विरोधाभाष नहीं है स्वभाविक स्वरूप का विरोधाभाष चतुराई से किये गये प्रतिपरीक्षण में आया है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित विवेचना करते हुए विधि सम्मत निष्कर्ष निकाला है और अपील बेबुनियाद है। इसलिए उसे निरस्त किया जाकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को यथावत रखा जाये।

11. दण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपील न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 फर्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील का मूल प्रकरण में आयी साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख, आलोच्य निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आयी साक्ष्य का अध्ययन किया गया, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के तहत आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है, जिसे प्रस्तुत दाण्डिक अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है। अभिलेख पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष दोनों की ओर से साक्ष्य पेश की गयी थी, इसलिए संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा। आरोपी/अपीलार्थी की ओर से उसकी भैंस थाने में घुस जाने पर से पुलिस द्वारा नाराज होकर झूठा मामला पंजीबद्ध किये जाने का आधार लिया है, जिसके बारे में अभियोजन साक्षी से भी सुझाव देकर प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसमें अभियोजन ने बचाव पक्ष के उक्त सुझाव को अस्वीकार किया है और चैकिंग के दौरान आरोपी को लोडेड कट्टा अवैध रूप से बगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के रखे पाये जाने से अभियोजित किये जाने की साक्ष्य दी है।
13. आरोपी की ओर से रामनिवास (ब0सा0-01) को अपने आधार के समर्थन में बचाव साक्षी के रूप में पेश किया है। बचाव साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि आरोपी/अपीलार्थी उसके मामा का लडका होकर रिश्तेदार है, बचाव साक्षी ग्राम पारसेन थाना रतवायी जिला ग्वालियर का निवासी है। आरोपी/अपीलार्थी ग्राम भैंसोरा थाना रिठोरा जिला मुरैना का निवासी है, कथानक मुताबिक घटना मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की होकर काम्टन ग्रीन्स फैक्ट्री के पास आम रस्ते की बतायी गयी है। बचाव साक्षी ने आरोपी/अपीलार्थी को घटना के समय साथ होना बताते हुए घटना वाले दिन सुबह करीब 10:00 बजे ग्राम पारसेना से चार भैंसों को लेकर भैंसोरा की तरफ जाते समय थाना मालनपुर के सामने निकलते समय सामने से एम्बूलेंस के आने और एम्बूलेंस के हॉर्न बजाने के कारण भैंसों के थाने में चले जाने पर से पुलिस वालों द्वारा आरोपी/अपीलार्थी विशम्भर सिंह को थाने पर बैठा लेना और उसे छोड़ देना बताया है, जिसे बाद में पता चला था, कि पुलिस ने कट्टा रख कर बन्द कर दिया है।
14. बचाव साक्षी ने उक्त बात की जानकारी को अधीनस्थ न्यायालय में कथन देते समय तक एक वर्ष का समय का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद इस संबंध में कहीं कोई शिकायत या कार्यवाही न करना बताया है। बचाव साक्षी की आरोपी/अपीलार्थी के साथ उपस्थिति के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बचाव साक्ष्य के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है, कि यदि पुलिस द्वारा थाने में भैंस घुस जाने पर से नाराज होकर यदि झूठा मामला बनाया गया होता, तो फिर उक्त बचाव साक्षी

को भी अभियोजित पुलिस कर सकती थी, इसलिए बचाव साक्षी की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं है, बचाव साक्षी की आरोपी/अपीलार्थी से निकट की रिश्तेदारी और हितबद्धता है, अन्य कोई इस बिन्दु पर साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, न ही यह स्पष्ट किया है, कि भैसे किससे लीं गयीं थी किसलिए ले जायीं जा रहीं थीं। ऐसे में बचाव साक्षी की बचाव साक्ष्य को विश्वसनीय न मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा व्यक्तिगत रजिश या नाराजगी के बिन्दु को विद्यमान नहीं माना है। ऐसे में बचाव साक्ष्य महत्व नहीं रखती है।

15. दाण्डिक विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि अभियोजन पर ही प्रस्तुत मामले को प्रमाणित करने का भार होता है, कि वह युक्तियुक्त संदेह के परे आक्षेपों को प्रमाणित करे। इसलिए बचाव साक्षी के अविश्वसनीय होने या उसके अस्तित्व को न माने जाने के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि अभियोजन को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है।
16. प्र0पी0-05 एफ0आई0आर0 में जो घटना का वृत्तांत बताया गया है उसमें टी0आई0 शेरसिंह, ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट श्रीनिवास यादव, आशाराम गौड, प्रधान आरक्षक ओमवीर, रामवरन शर्मा, आरक्षक जगजीतसिंह, विक्रमसिंह, आरक्षक जगरामसिंह, चालक दिनेश शर्मा को पुलिस पार्टी में वाहन चैकिंग हेतु क्राम्टन फ़ैक्ट्री की ओर जाना और वाहनों की चैकिंग करने के दौरान आरोपी/अपीलार्थी को संदिग्ध होने से चेक करने पर बायीं तरफ कमर में **पेंट के नीचे** एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिलना बताया है, जिसमें चेक करने पर एक राउण्ड लगा हुआ पाया गया था, जिसका कोई लाइसेंस नहीं पाये जाने पर आरोपी/अपीलार्थी से कट्टा कारतूस की प्र0पी0-01 मुताबिक जब्ती प्र0पी0-02 मुताबिक उसकी गिरफ्तारी कर थाने लाकर उक्त एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध करते हुए विवेचना करना बतायी है। साक्षी मनमोहन का मौके पर मिलना और साक्षी के रूप में उसे शामिल करना बताया गया है। जो साक्षी परीक्षित कराये गये उनमें से मनमोहन (अ0सा0-01) को छोड़ कर शेष पुलिस साक्षी हैं इसलिए मनमोहन की साक्ष्य का मूल्यांकन पृथक से करना न्यायसंगत तथा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनमोहन मूलतः इन्दरगढ जिला दतिया का निवासी है और मालनपुर में दुकानदारी करना बताता है।
17. मनमोहन (अ0सा0-1) ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में यह कहा है, कि वह आरोपी विशम्भर को जानता है, जिससे कट्टा पकड़ा गया था। चुनाव के समय की बात है। दोपहर 12:00-01:00 बजे का समय था। आरोपी क्राम्टन फ़ैक्ट्री मालनपुर पर कहीं जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उसकी जांच की थी तथा उससे एक कट्टा और कारतूस मिला था, जो आरोपी की जेब से

मिला था, फिर आरोपी को पुलिस पकड़ कर ले आयी थी, साक्षी ने प्र0पी-01 के जब्तीपत्र और प्र0पी0-02 के गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह स्वीकार किया है, कि उसकी मालनपुर में चार दुकानें हैं, दो मोबाइल की, एक मोटरसाइकिल की, एक में रिलायंस का ऑफिस है, चारों दुकानें हनुमान चौराहे पर हैं, जहां से घटनास्थल दो तीन किलोमीटर दूर है। उसका बड़ा भाई नारायण दुकानों का संचालन करता है। घटनास्थल के आस-पास न तो कोई उसका रिश्तेदार रहता है और न उसका कोई मित्र रहता है, न उसकी दुकानों से संबंधित कोई व्यक्ति वहां रहता है, वह वैसे ही घूमने के लिए जाने की बात पैरा-02 में बताता है, उक्त साक्षी के संबंध में बचाव साक्ष्य का पुलिस का बनाया हुआ साक्षी होने का आक्षेप है, जिसे इस बात से बल मिलता है, कि मुख्य परीक्षण में वह किसी काम से घटना वाले स्थान जाना और प्रतिपरीक्षण में घूमने के लिए जाना बताता है। कथानक मुताबिक आरोपी को दोपहर बाद तीन बजकर दस मिनट पर पकड़ा गया था, उक्त साक्षी दिन के 12:00-01:00 बजे के बीच घटना बताता है, तथा इसे नजरअंदाज किया भी जाये तो, कथानक मुताबिक वाहन की चैकिंग पुलिस द्वारा करने के लिए जाना बताया गया है, जबकि अ0सा0-01 पैरा-02 मुताबिक घटनास्थल पर मोटरसाइकिल या बसों की उसके सामने चैकिंग नहीं की गयी थी, उसका यह भी कहना है, कि घटनास्थल के पास टैक्सी बसें आदि नहीं चलती हैं। आरोपी रिठौरा की तरफ जा रहा था, या आ रहा था, यह भी उसने नहीं देखा। घटनास्थल के पास उसके मुताबिक कोई दुकान नहीं है, जबकि पुलिस साक्षी के मुताबिक घटनास्थल के आस-पास चायपान, बीड़ी-बिंडल आदि की दुकानें होना बतायी गयीं हैं, जैसा कि विक्रमसिंह (अ0सा0-04) बताता है, जो कि मौके की कार्यवाही का पंचसाक्षी है, साथ में गये ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट (अ0सा0-05) के पैरा-02 मुताबिक घटनास्थल के आसपास मेडीकल या किराना स्टोर की दुकानें नहीं थी। उसने पहले एटलस तिराहे की ओर जाना बताया है, जहां वाहनों की कोई चैकिंग नहीं की थी, फिर क्राम्टन फैक्ट्री के सामने चैकिंग पाइंट पर जाना कहा है, वहां पर कितने वाहन चेक किये इसके बारे में उसे भी जानकारी नहीं है।

18. जब्ती, गिरफ्तारीकर्ता टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-06) मुताबिक भी घटनास्थल के आसपास सब्जी, चाय, किराने आदि की कोई दुकानें नहीं हैं और उसके मुताबिक घटनास्थल क्राम्टन फैक्ट्री के गेट के सामने 05 फिट दूरी पर बताया गया है, जहां आरोपी को पकड़ा वहां अन्य किसी फैक्ट्री का गेट नहीं है। प्रकरण में घटनास्थल का कोई नजरी नक्शा अनुसंधान के दौरान नहीं बनाया गया। ऐसे में घटनास्थल और वाहनों की चैकिंग दोनों ही बिन्दु पर पुलिस साक्षियों और मनमोहनसिंह (अ0सा0-01) की अभिसाक्ष्य में विरोधाभास की

स्थिति है और विरोधाभास साधारण स्वरूप का नहीं है।

19. अ0सा0-01 के मुख्यपरीक्षण मुताबिक जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके सामने हुई, क्योंकि आरोपी को उसके सामने पकड़ा गया और कट्टा कारतूस वह जेब से मिलना बता रहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में वह इस बिन्दु पर स्थिर नहीं है और पैरा-03 में यह कहता है, कि जब वह मौके पर गया था, तब पुलिस ने आरोपी से उसके सामने कट्टा नहीं निकाला था। पुलिस मौके पर चैकिंग कर रही थी और आरोपी पैदल जा रहा था, उसके पास गाय, भैंसे नहीं थीं, यदि हों तो भी वह नहीं कह सकता। इस तरह से उसके सामने कट्टा निकाले जाने की वह पुष्टि नहीं करता है। कथानक मुताबिक आरोपी की **पेंट के नीचे** बायीं तरफ कमर से लोडेड कट्टा 315 बोर मिलना बताया गया है, ऐसे में अ0सा0-01 के द्वारा जेब से मिलने की बात कहा जाना और फिर उसके सामने न मिलने की बात कहा जाना उसकी विश्वसनीयता को क्षीण कर देती है, क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति भी सकारण दर्शित नहीं है। इसलिए वह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
20. अ0सा0-01 इस आधार पर भी विश्वसनीय नहीं है, कि वह लिखापट्टी पुलिस द्वारा थाने पर आकर की जाना, थाने पर ही उसके हस्ताक्षर कराये जाना पैरा-02 में कहता है, जबकि अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 के मुताबिक जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर ही करना बतायी गयी है, वहीं हस्ताक्षर कराये जाना कहा है, तथा हथियार सीलड करने के बिन्दु पर भी अ0सा0-01 का समर्थन नहीं है, क्योंकि उसके पैरा-03 मुताबिक कट्टे को कपडे में लपेटकर घटनास्थल से पुलिस द्वारा लाना बताया गया है, जबकि अ0सा0-04 जो कि पुलिसकर्मी भी है, वह अपने पैरा-07 में कट्टे को टी0आई0 साहब के द्वारा फाइल में रखकर थाने लाना बताता है, किसी कपडे या थैले में बन्द किये जाने से वह इन्कार करता है। इसके विपरीत ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट अ0सा0-05 पैरा-04 में कट्टे को मौके पर ही सीलड करना, चपडी, मोमबत्ती तथा माचिस से लगाना कहता है और टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-06) भी पैरा-06 में साक्षी के समक्ष कट्टा कारतूस जब्त कर सीलड करना बताता है, जबकि पैरा-07 में विवेचक ने यह कहा है, कि घटना वाले दिन उसके पास जब्तीकिट, पैमाना नहीं था, तो फिर कैसे मौके पर कट्टा कारतूस को सीलड किया गया, यह संदिग्ध हो जाता है, जबकि प्र0पी0-01 में कट्टा कारतूस के संबंध में कॉलम नंबर-13 में सील नमूना की छाप अंकित की गयी है और आरोपी के उस पर हस्ताक्षर भी लिये गये हैं। जब्तीकिट जब साथ में नहीं थी, तो फिर कैसे सीलड किया सकता है, यह स्वमेव ही विचार योग्य है और ऐसी साक्ष्य भी अभियोजन की नहीं आयी है, कि जब्तीकिट राधेश्याम जाट या अन्य पुलिस बल लाये

हों और उनमें से किसी से लेकर सीलड किया गया हो। मौके पर कट्टा कारतूस सीलड न किये जाने की बात तो पंचसाक्षी और पुलिस आरक्षक विक्रमसिंह (अ0सा0-04) भी बताता है, जो कट्टे को फाइल में टी0आई0 साहब द्वारा थाने लाना बताता है, कपडे में बन्द करने से मना करता है। ऐसे में मौके पर जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और पुलिस साक्षी के कथनों में उत्पन्न विसंगतियां महत्वपूर्ण है।

21. यह सही है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर समर्थन के अभाव में अविश्वास किये जाने के नियम नहीं है, क्योंकि यह मानकर चाल जाता है, कि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के निर्वाहन के तहत कार्यवाही करता है और उनकी साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में भी माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए उल्लेख किया है, किंतु जो न्याय दृष्टांत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में दिया है, वह सुस्थापित सिद्धांत है, जिनका सम्मान यह न्यायालय भी करता है, किंतु न्याय दृष्टांत प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कि लागू होगा या नहीं होगा। यांत्रिक तरीके से तो किसी भी साक्षी की साक्ष्य को ग्राह्य या अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। विचाराधीन मामले में यदि प्र0पी0-01 मुताबिक बतायी गयी जब्ती ही संदिग्ध हो, तो फिर आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित नहीं होगा, क्योंकि धारा-25(1- ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध के लिए उक्त अधिनियम की धारा-03 का प्रमाणित होना आवश्यक है। अर्थात् आरोपी/अपीलार्थी के आधिपत्य व संज्ञान में बगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध रखना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होना चाहिए, तभी अपराध प्रमाणित किया जा सकता है।

22. आरक्षक आर्म्स मुहर्रर सुरेश दुबे (अ0सा0-02) ने अपने अभिसक्ष्य में थाना मालनपुर द्वारा जो कट्टा कारतूस 315 बोर के उसकी ओर जांच हेतु भेजे गये थे जिनका अपराध क्रमांक 262/13 में जब्त होना बताया गया है, उसकी जांच करने पर कट्टा चालू हालत में था, क्योंकि उसका एक्शन सही था और फायर किया जा सकता था। जिस कारतूस की जांच की गयी वह 315 बोर का था, जिसकी पैदी पर 8 एम0एम0के0एफ0 अंकित था। जांच उपरांत उसके द्वारा प्र0पी0-03 की रिपोर्ट दी गयी। उसे सीलड अवस्था में कट्टा कारतूस मिला, जांच उपरांत उसे सीलड करके ही वापिस किया, उसके बावत् कोई विसंगति उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए जो कट्टा कारतूस जांच हेतु भेजा गया था, वह आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आता है। अभिलेख पर कोई शस्त्र अनुज्ञप्ति आरोपी की ओर पेश होना नहीं बतायी गयी है। ऐसे में जांच किये गये कट्टा कारतूस अवैध आग्नेय शस्त्र की

श्रेणी में तो आते हैं, किंतु उक्त अधिनियम की धारा-03 का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ, यह अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की अभिसाक्ष्य से मूल्यांकित करना है।

23. योगेन्द्रसिंह कुशवाह (अ0सा0-03) ने अपने अभिसाक्ष्य में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक रहते हुए पुलिस अधीक्षक के पत्र के माध्यम से थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 262/13 की केसडायरी, सीलबंद आयुध आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 12/12/13 को प्राप्त हुई थी और तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम0सिवि0 चक्रवर्ती द्वारा उनका अवलोकन कर कट्टा कारतूस अवैध पाये जाने से प्र0पी0-04 की अभियोजन चलाने की स्वकृति प्रदान करना बताया है। प्र0पी0-04 के संबंध में कोई अन्यथा साक्ष्य नहीं है। प्र0पी0-04 की स्वकृति प्रदान किये जाने में जिला दण्डाधिकारी द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किया जाना भी पाया जाता है, क्योंकि कोई शस्त्र लाइसेंस आरोपी पर नहीं था, जिससे प्रकरण में धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 का पालन होना तो उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है और यह पाया जाता है, कि जो कट्टा कारतूस जिला दण्डाधिकारी की ओर भेजा गया, वह अवैध था, किंतु आरोपी से ही जब्त हुये, इस पर विचार होना है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी से जब्त होना मानकर दोषी ठहराया है, अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में उत्पन्न विरोधाभास और विसंगतियों पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
24. प्रकरण में प्र0पी0-05 की एफ0आई0आर0 मुताबिक जिन पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों का साथ में जाना बताया है, उनके संबंध में और मौके की कार्यवाही के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी और वापिसी के संबंध में साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया, केवल ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट (अ0सा0-05) ने अपने अभिसाक्ष्य में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 866 रवानगी का होना बताया है, जिसका उल्लेख एफ0आई0आर0 में अवश्य है, जिसे पेश किया जाना चाहिए था और वापिसी का रोजनामचा सान्हा भी मौके की कार्यवाही की वास्तविकता के लिए पेश किया जाना आवश्यक था। जिसके अभाव में अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है।
25. आरक्षक विक्रमसिंह (अ0सा0-04) के मुताबिक आरोपी रिठोरा तरफ से आता हुआ दिखा था, तब टी0आई0 साहब ने उसको चेक किया था, जिस पर 315 बोर का कट्टा और एक कारतूस मिला था। आरोपी कट्टे को कमर में बायीं तरफ लगाये था। जिसे टी0आई0

साहब ने प्र०पी०-०१ का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त किया था और आरोपी को प्र०पी०-०२ का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार किया था और मय माल थाना लाकर आगे की कार्यवाही की गयी थी। इस साक्षी के मुताबिक ८-१० वाहनों को चेक किया गया था, पैदल तथा मोटरसाइकिल वालों को भी चेक किया गया था, लेकिन चेक किये गये वाहनों का चालान हुआ, या नहीं, यह उसे मालूम नहीं है। उसके मुताबिक आरोपी की तलाशी टी०आई० साहब ने ली थी। पैरा-०५ में उसने मुख्य परीक्षण से भिन्न यह कहा है, कि आरोपी कट्टा बायीं तरफ लगाये था, या दायीं तरफ यह उसे याद नहीं और कट्टा किसके द्वारा पकड़ा गया था, यह भी उसे याद नहीं, फिर पैरा-०६ में टी०आई० साहब द्वारा कमर से कट्टा निकालना बताता है, जिसकी नापतौल उंगली से की गयी थी, क्योंकि इंचीटेप नहीं था, किंतु प्र०पी०-०१ जब्तीपत्रक में कट्टे की लंबाई, बेरल की लंबाई का स्थान रिक्त है, माप नहीं लिखी है। इसके विपरीत ए०एस०आई० राधेश्याम जाट (अ०सा०-०५) के मुताबिक कितने वाहन चेक किये गये यह रजिस्टर देखकर ही वह बता सकता है, जो थाने पर रहता है और वापिस आने पर रोजनामचा सान्हा में भी उल्लेख करते है। यह भी कहता है, कि संपूर्ण फोर्स जिसमें १० पुलिसकर्मी थे, सभी ने आरोपी की खानातलाशी ली थी, सबसे पहले टी०आई० साहब ने ली थी, टी०आई० साहब के साथ सभी ने ली थी। मौके की लिखापढी टी०आई० साहब ने स्वयं की थी और कट्टे की नापतौल टी०आई० साहब ने इंचीटेप से की थी, ऐसा उसने पैरा-०५ में बताया है, तथा यह भी स्वीकार किया है, कि स्वीकार किया है, कि जब्तीपत्र प्र०पी०-०१ में जब्ती की माप का उल्लेख नहीं है।

26. इस तरह से अ०सा०-०४ एवं अ०सा०-०५ के कथनों में भी विरोधाभास की स्थिति है। कथानक मुताबिक कट्टा कमर में बायीं तरफ **पेंट में नीचे** खुरसे बताया गया है, कमर की तलाशी अ०सा०-०५ लेना कहता है, लेकिन अ०सा०-०४ के मुताबिक कट्टा टी०आई० साहब ने पकड़ा, टी०आई० शेरसिंह (अ०सा०-०६) भी स्वयं ही आरोपी की चैकिंग कर **पेंट में बायीं ओर** ३१५ बोर का कट्टा मिलना बताता है।

27. इस तरह से अ०सा०-०४ लगायत अ०सा०-०६ तीनों ही पुलिस साक्षी आरोपी/अपीलार्थी का घटना के समय **पेंट पहने** होना बताते है, जबकि जब्ती के तत्काल पश्चात १० मिनट बाद ही आरोपी को प्र०पी०-०२ मुताबिक गिरफ्तार मौके पर किया गया था और गिरफ्तारी पत्रक में आरोपी **कुर्ता पजामा** पहनने का आदी होना कण्डिका-०९ मुताबिक बताया गया है, जो तत्समय की स्थिति के आधार पर लिखा गया होना दर्शित होता है। **कुर्ता पजामा** पहना हुआ व्यक्ति कमर में देशी कट्टा तब तक नहीं रख सकता है, जब तक कि रस्सी के सहारे

उसे न बांधा जाये। अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की साक्ष्य में ऐसा भी नहीं आया है, कि उक्त पजामा जो आरोपी पहनता है, वह बेल्ट वाला हो, या कमर में कोई उपकरण रखता हो। ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क कि आरोपी **कुर्ता पजामा** पहनता है, उसे बल मिलता है, क्योंकि अ0सा0-01 मुताबिक घटना के समय चुनाव का समय था, हालांकि अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य में चुनाव की बात नहीं आयी है। ऐसी स्थिति में आरोपी/अपीलार्थी का घटना के समय **पेंट पहने** हुये होना ही प्रकट नहीं होता है, जिससे अभियोजन का संपूर्ण कथानक कि आरोपी क्राम्टन फैक्ट्री के पास चैकिंग से गुजरा, जिसे पुलिस द्वारा चेक किया गया, चेक करने पर पहने हुए **पेंट में बायीं तरफ कमर के नीचे** लोडेड कट्टा 315 बोर का लगा हुआ पाया गया, जिसे मौके पर सील्ड किये जाने के संबंध में भी गंभीर विरोधाभास की स्थिति है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। जिससे अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की साक्ष्य विश्वसनीय जब्तीपत्रक प्र0पी0-01 के संबंध में नहीं रह जाती है और अ0सा0-05 के मुताबिक 10 लोगों द्वारा एक साथ एक व्यक्ति की जामा तलाशी लेना स्वभाविक नहीं लगता है। जब्तीपत्रक में माप की जगह रिक्त छोड़ी जाना भी संदेह उत्पन्न करता है।

28. अ0सा0-06 के मुताबिक उसने जब्तीपत्र पर जब्त कट्टा रखकर छायाचित्र बनाया था, उसमें भी कोई माप अंकित नहीं की गयी है। कारतूस पर 8 एम0एम0के0एफ0 लिखा हो, ऐसा भी जब्तीपत्र में उल्लेख नहीं है। अ0सा0-06 ने क्राम्टन फैक्ट्री के गेट पर गार्ड की उपस्थिति बतायी है, उसे साक्षी के तौर पर शामिल नहीं किया गया, न ही आरोपी की तलाशी के समय उसे बुलाया गया, अन्य राहगीरों का निकलना भी बताया है, अन्य राहगीरों को भी तलाशी के समय नहीं बुलाया गया और अ0सा0-05 घटना का साक्षी भी है और विवेचक की भी हैसियत रखता है, क्योंकि एफ0आई0आर0 के बाद की विवेचना उसके द्वारा की गयी, मौके की स्थिति के बारे में सभी अपनी-अपनी तरह से साक्ष्य दे रहे हैं, जिसमें एक दूसरे का खण्डन हो रहा है। ऐसे में अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है और अ0सा0-06 की अभिसाक्ष्य में कट्टा, कारतूस आर्टीकल ए-1 ओर ए-2 से चिह्नित किये जाने के आधार पर भी यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, कि चैकिंग के दौरान वे आरोपी के आधिपत्य से बरामद हुये थे, क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी को घटना के समय **पेंट पहने** हुये होने का बिन्दु ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए प्र0पी0-01 का जब्तीपत्र अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

29. जब्तीकर्ता टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-06 के पैरा-04 मुताबिक चैकिंग के दौरान करीब 60 लोग गुजरे थे, जिनकी चैकिंग की थी,

आरोपी के अलावा और कोई संदिग्ध नहीं मिला। पैरा-05 में उसने दिन के करीब 3 बजकर 10 मिनट के पहले आरोपी का उसके कब्जे में होना बताते हुए कहा है, कि उसकी तलाशी की कार्यवाही की गयी, उसके पहले उसने अपनी तलाशी स्वतंत्र साक्षियों को दी थी, लेकिन इसका पंचनामे में उल्लेख नहीं किया है। जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही में उसके पैरा-06 मुताबिक 20 मिनट का समय लगा था, जबकि ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट (अ0सा0-05) के मुताबिक कमर की तलाशी उसके द्वारा ली जाना बतायी गयी है, इसलिए आरोपी की कमर से वास्तव में किसके द्वारा तलाशी लिये जाने पर लोडेड कट्टा मिला, इसके बारे में भी विरोधाभास है और उपरोक्त बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय के अध्ययन से यह स्पष्ट है, कि उनका सर्वाधिक ध्यान इसी बात पर रहा है, कि पुलिस साक्षियों पर अन्य साक्षियों के समर्थन के अभाव में अविश्वास नहीं किया जा सकता है, किंतु पुलिस साक्षियों के कथनों पर यदि विश्वास करना हो तो, ऐसे पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य निष्पक्ष और विसंगतियों से दूर होनी आवश्यक है, किंतु विचाराधीन मामले में पुलिस साक्षियों के कथनों में ही महत्वपूर्ण प्रकृति की विसंगतियां पायी गयी हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता नहीं रह जाती है और आर्टिकल ए-01 और आर्टिकल ए-02 के कट्टे कारतूस का अभिग्रहण साबित नहीं होता है। इसलिए धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम का अपराध स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 1988 भाग-01 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट 07** में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है।

30. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्यों और परिस्थितियों के किये गये विश्लेषण के आधार पर प्र0पी0-01 का जब्तीपत्र संदिग्ध है, क्योंकि जब्तीपत्र के मुताबिक कट्टा और कारतूस का मौके पर सीलड किया जाना प्रमाणित नहीं है और हथियार को मौके पर सीलड इसलिए किया जाता है, ताकि उसके कोई फेरबदल या छेड़छाड़ नहीं की जा सके। अ0सा0-04 लगायत अ0सा0-06 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अ0सा0-01 भी विश्वसनीय साक्षी नहीं पाया गया है, जबकि प्रमाण भार अभियोजन पर था, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गयी दोषसिद्धि व प्रदत्त दण्डाज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि मामला संदिग्ध पाया गया है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत की गयी, दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 28/01/15 को अपास्त किया जाता है और आरोपी/अपीलार्थी विशम्भरसिंह को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

31. आरोपी/अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जमा 1000/—(एक हजार) रुपये का अर्थदण्ड अपील/निगरानी अवधि उपरांत उसे विधिवत वापिस किये जावें।
32. अपीलार्थी/आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।
33. प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल ए-1 कट्टा और आर्टिकल ए-2 के कारतूस के संबंध में आलोच्य निर्णय की कण्डिका 41 को यथावत रखा जाता है।
34. निर्णय प्रति डी.एम. भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 09 सितम्बर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)